

प्रेस-विज्ञप्तिथाना -मेंहनाजपुरमारपीट में गम्भीर चोट पहुँचाने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक 27.07.2023 की रात 11.00 बजे के लगभग आवेदक के घर में पारिवारिक बात लेकर कहा सुनी हो रही थी। तभी आवेदक का चाचा अमरीश पुत्र सुराहू राजभर ने पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थी को गाली गुप्ता देने लगे उसी वक्त आवेदक के परिवार के दीपू पुत्र विजयी राजभर, राजमनी पत्नी विजयी राजभर, बीच बचाव करने आये तो विपक्षी अमरीश पुत्र सुराहू राजभर लाठी डंडे से मारने लगे जिससे आवेदक के सर में गंभीर चोट आयी थी। जिससे आवेदक बेहोश हो गया था व दीपू पुत्र विजयी राजभर के सर पर चोट आयी थी तथा राजमनी देवी पत्नी विजयी राजभर को भी शरीर में अन्दरूनी चोट आयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/23 धारा 308/323/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रमोद यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 01.09.23 को उ0नि0 प्रमोद यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमरीश राजभर पुत्र सुराहू राजभर ग्राम बहलोलपुर थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम बहलोलपुर से समय करीब 12.10 हिरासत पुलिस में लिया गया। बाद गिरफ्तारी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 158/23 धारा 308/323/504/506 भा0द0वि0 थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- अमरीश पुत्र सुराहू राजभर ग्राम बहलोलपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह थाना मेंहनाजपुर, आजमगढ़

थाना- तरवांलड़की को भगाने का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना संक्षेप में – दिनांक 29.8.23 को वादी मुकदमा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 25.8.23 को वादी की बहन को विपक्षी अमिताब राम पुत्र रामअवध राम निवासी ग्राम डण्डवल थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ द्वारा अपने साथ बहला –फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 241/23 धारा 363/366 भादवि बनाम अमिताब राम पुत्र रामअवध राम निवासी ग्राम डण्डवल थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक-01.09.2023 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी बोगरिया मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमिताब राम पुत्र रामअवध राम निवासी ग्राम डण्डवल थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को सुकुलपुरा मोड के पास से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 241/23 धारा 363/366 भादवि थाना तरवां आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अमिताब राम पुत्र रामअवध राम निवासी ग्राम डण्डवल थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह थाना तरवां आजमगढ़।

थाना- महाराजगंज
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 31.01.2023 को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्रीय जनता से वार्तालाप करने व अभिलेखों के परिशीलन से पाया गया कि रुद्रेश सिंह S/O स्व0 जंगसेर सिंह निवासी भैसही थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर एक शांति अपराधी है जिसका अपना एक आपराधिक गिरोह है जिसके सक्रिय सदस्य (2) रोहित सिंह S/O स्व0 विनोद सिंह निवासी हरखपुरा खास कोतवाली महाराजगंज आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष (3) अविनाश सिंह S/O भानु प्रताप सिंह निवासी हरखपुरा खास कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ़ (4) वेद प्रकाश विश्वकर्मा S/O रामनयन विश्वकर्मा निवासी हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 44 वर्ष (5) प्रदीप राय S/O दयाशंकर राय निवासी अवती पहलवानपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष (6) श्रीमती शीलावती W/O धर्मेन्द्र निवासी हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष (7) प्रेम विश्वकर्मा S/O रामकेश विश्वकर्मा निवासी सहदेवगंज थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 37 वर्ष व (8) सविता पुत्री रामवृक्ष निवासी ताहिरपुर बगहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष है। यह अपने तथा गिरोह के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एवम् दुनियावी लाभ के लिए फिरौती हेतु अपहरण जैसा गंभीर अपराध किया जाता है। इनके इस कृत्य से लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है तथा सामान्य जन जीवन अस्त - व्यस्त हो जाता है। इस गिरोह की सक्रियता अर्न्तजनपदीय है। जिसके अपराध पर अंकुश लगाने हेतु गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ से अनुमोदित के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 30.08.23 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 273/23 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी प्रारम्भिक विवेचना उ0नि0 राजकुमार कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 01.09.2023 को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. वेद प्रकाश विश्वकर्मा S/O रामनयन विश्वकर्मा निवासी हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष 2. प्रेम विश्वकर्मा S/O रामकेश विश्वकर्मा निवासी सहदेवगंज थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 37 वर्ष को उनके घरों से क्रमशः समय 05.30 बजे व 06.30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग उपरोक्त सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप राय S/O दयाशंकर राय निवासी अवती पहलवानपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर उ0नि0 श्री माखन सिंह मय हमराह का0 रामबाबू व का0 वीरेन्द्र कुमार के साथ रवाना होकर अभियुक्त के घर ग्राम अवती पहलवानपुर थाना कंधरापुर से समय करीब 06.50 बजे सुबह पुलिस हिरासत में में नियमानुसार लेकर जामा तलाशी लिया गया तो कोई भी नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई अभियुक्तगण माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 -273/23 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. वेद प्रकाश विश्वकर्मा S/O रामनयन विश्वकर्मा निवासी हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष
2. प्रेम विश्वकर्मा S/O रामकेश विश्वकर्मा निवासी सहदेवगंज थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 37 वर्ष
3. प्रदीप राय S/O दयाशंकर राय निवासी अवती पहलवानपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

I- अभियुक्त प्रदीप राय पुत्र स्व0 दयाशंकर राय निवासी अवती पहलवानपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष
क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद परिणाम

1. 58/23 364ए/420/120 बी भादवि महाराजगंज आजमगढ़ ए 92 दिनांक 10.05.23
2. 273/23 3(1) यूपी गैंगेस्टर महाराजगंज आजमगढ़ विचाराधीन

II-अभियुक्त वेद प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र रामनयन विश्वकर्मा निवासी हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष
क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद परिणाम

1. 47/23 323/504/506 भादवि रौनापार आजमगढ़ ए 53 दिनांक 14.03.23
2. 58/23 364ए/420/120 बी भादवि महाराजगंज आजमगढ़ ए 92 दिनांक 10.05.23
3. 273/23 3(1) यूपी गैंगेस्टर महाराजगंज आजमगढ़ विचाराधीन

III-अभियुक्त प्रेम विश्वकर्मा पुत्र स्व0 रामकेश विश्वकर्मा निवासी सहदेवगंज थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष
क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद परिणाम

1. 236/15 323/325/504/506 भादवि महाराजगंज आजमगढ़ ए 202 दिनांक 02.12.15
2. 58/23 364 -A/420/120-B भादवि महाराजगंज आजमगढ़ ए 92 दिनांक 10.05.23
3. 12/22 489-B/489-C भादवि कोतवाली आजमगढ़ ए 01 दिनांक 25.03.22
4. 216/22 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली आजमगढ़ ए 01 दिनांक 11.01.23
5. 273/23 3(1) यूपी गैंगेस्टर महाराजगंज आजमगढ़ विचाराधीन

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह व उ0नि0 श्री माखन सिंह मय हमराह थाना महाराजगंज आजमगढ़।